बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, बेतिया।
अल्पकालनी ई०–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 10/2026–27 (Single Bid)

कार्य का विवरणी :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रूपयें में)	अग्रधन की राशि (रूपयें)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपयें)	बीड प्रोसेसिंग चार्ज सेवा कर सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	व्यवहार न्यायालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (जी०+1) का निर्माण कार्य।	37,62,000.00	75,300.00	5,000.00	1,180.00	3 माह।
2	अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (भू–तल) का निर्माण कार्य।	28,12,000.00	56,300.00	5,000.00	1,180.00	3 माह।

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया।
2. निविदा आमंत्रण की तिथि :– दिनांक – 15.09.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की तिथि एवं समय :– दिनांक – 28.09.2026 से दिनांक 22.10.2026 को 15:00 बजे तक।
4. निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक – 23.10.2026 को 15.:00 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक – 24.10.2026 को 15.:00 बजे।
6. निविदा बिक्री/प्राप्ति का स्थान :– वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
7. निविदा वैधता की तिथि :– 120 दिन।
8. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :– सक्षम प्राधिकार।
9. समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। वैसे संवेदक जो किसी विभाग द्वारा डिवार अथवा कालीकृत किये गये है या जिनके द्वारा कार्यावंटन के पश्चात भी तय सीमा तक एकरारनामा नहीं किया गया हो या किसी कार्य को अधुरा छोड़ा गया हो इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
10. निविदा केवल ई०–निविदा पद्धति के अनुसार बेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा एवं e-proc 2.0 के सभी नियम लागू होंगे। ई०–निविदा से संबंधित जानकारी E-Procurement help desk, Patna, Email- eproc2support@bihar.gov.in, Phone-612252306, Mobile No. 99339035696 से प्राप्त किया जा सका है।
11. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free View में उपलब्ध है, जिसे सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
12. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेवसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से हीं उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।
13. निविदा कागजात भरकर वेवसाईट पर ही Upload (जमा) किया जा सकेगा। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेवसाईट पर ही प्रकाशित किया जायेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी।
14. eproc2.0 प्रणाली के तहत मात्र Online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार की जायेगी। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र B.G. (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जायेगा, जो कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेतिया के नाम से बिहार राज्य अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निविदा प्रकाशित होने की तिथि के बाद निर्गत होना आवश्यक है, जिसका Online Verification किया जायेगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G. को Scan कर अपलोड करेंगें। साथ ही अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक– 4533 (भ) दिनांक– 22.05.2025 के आलोक में निविदाकारों द्वारा e-BG के रूप में EMD को जमा करने हेतु विकल्प है, जिसे स्वीकार किया जायेगा।
15. परिमाण विपत्र की मुल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा) को वेवसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार Online mode में ही स्वीकार किया जायेगा।
16. निविदा हेतु आवेदन एवं आवश्यक कागजातों के साथ–साथ संवेदक निबंधन प्रमाण–पत्र, बैध आचरण प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत), पैन कार्ड एवं वाणिज्य कर सक्रिय निबंधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
नोट :– GST सफाया प्रमाण–पत्र (GSTR-3B) अद्यतन रहने की स्थिति पर ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
17. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीवद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगें ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख PDF, MS Office, Compatibility mode, JPEG Formate में ही अपलोड किये जाये अन्य Formate में अपलोड किये गये Documents के डाउनलोड/ओपेन नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. कार्यावंटन के बाद संवेदक द्वारा संबंधित कार्य का Labour Licence कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. "अभियंता प्रमुख–सह–आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक– 5768 (भ) अनु० दिनांक– 18.07.2023 के आलोक में C.W.J.C. No- 9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक– 06.07.2023 को पारित आदेश के अनुसार न्यूनतम दर की सीमा 10 प्रतिशत कम दर तक की मान्यता को खारिज कर दिया गया। अतः न्यूनतम प्रतिशत दर की कोई सीमा नहीं होगी। परिमाण विपत्र की दर से न्यूनतम दर की स्थिति में अतिरिक्त परफॉरमेन्श गारंटी नियमानुकुल देय होगा।
20. परिमाण विपत्र की दर से न्यून दर उद्धृत करने की स्थिति में नियमानुसार Additional Performance Gurantee की राशि देय होगी।
21. Defect Liability Priod मूल कार्य के लिए तीन वर्ष एवं मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य एक वर्ष का होगा।
22. संवेदक के विपत्र से आवश्यक कटौतियों के साथ–साथ 1 प्रतिशत श्रमिक कल्याण शेष एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार खनिज स्वामित्व, आयकर एवं GST TDS की विधिवत कटौती की जाएगी।
23. निधि उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इसमें संवेदक का कोई भी दावा मान्य नही होगा।
24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
25. निविद जमा करने या निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा एवं इस

संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

26. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अन्तिम तिथि के पूर्व समय रहते हुए प्रमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड करदें अन्यथा अन्तिम समय में Internet सेवा बाधित रहने या किसी भी प्रकार की Technical खामियों के कारण निविदा डालने में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
27. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत सभी आदेश संवेदक को मान्य होगा।
28. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदानुसार अग्रधन की राशि परिवर्तित हो सकती है।
29. निर्माण स्थल का निरीक्षण कर ही निविदा में भाग लें। बाद में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
30. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।
31. शपथ पत्र Non Judicial Stamp पर (मूल में) जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का हो।

''मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) ....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar) या काली सूची में दर्ज (Black Listed) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारे कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी/माता/पिता/भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी /लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा में मेरे द्वारा जमा सभी कागजात सही है कोई भी कागजात गलत होने पर मुझ पर कानून संगत कार्रवाई की जा सकती है।

(ङ) अगर कार्य मुझे आवंटित होता है तो निर्धारित समय के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में कार्य आवंटन रद्द करने का अधिकार विभागीय प्राधिकार/कार्यपालक अभियंता को होगा तथा मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल बेतिया।

ज्ञापांक–　　　　　　दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया को विभिन्न समाचार पत्रो में प्रकाशनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

ज्ञापांक–　　　　　　दिनांकः–

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– सभी कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– सभी संवेदक (विभाग द्वारा प्राप्त कराये गये लिस्ट के अनुसार) मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्राक्कलन पदाधिकारी/सहायक अभियंता अवर प्रमंडल सं०–1/2/बगहा/लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल भवन प्रमंडल, बेतिया को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बेतिया।

पत्रांक– दिनांक–

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित **अल्पकालीन ई०–निविदा आमंत्रण सूचना सं०–10/2026–27 (Single Bid)** जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक–20.09.2026 एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था जिसका **PR No. 011898 (BCD) 2026-27** है, कार्य के तिथियों को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है–

क्र.सं.	विवरणी	पूर्व का तिथि	संशोधित तिथि
3	निविदा (परिमाण विपत्र) को सिस्टम पर अपलोड करने की तिथि	दिनांक– 28.09.2026	दिनांक– 01.10.2026
3	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक– 22.10.2026 को 03:00 बजे अप० तक।	दिनांक– 02.11.2026 को 03:00 बजे अप० तक।
4	निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक– 23.10.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।	दिनांक– 03.11.2026 को 0300 बजे अप० तक।
5	निविदा खोलने (तकनीकी बीड) की तिथि एवं समय	दिनांक– 24.10.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।	दिनांक– 04.11.2026 को अपराहन् 3:00 बजे तक।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

ज्ञापांक– 1210 दिनांक– 01.10.20

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
प्रतिलिपि:– सभी कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:– सभी संवेदक (विभाग द्वारा प्राप्त कराये गये लिस्ट के अनुसार) मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– आई० टी० मैनेजर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:– प्राक्कलन पदाधिकारी/सहायक अभियंता अवर प्रमंडल सं०–1/2/बगहा/लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल भवन प्रमंडल, बेतिया को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

1.10.2026

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांकः-भवन-12/अभि०प्र०(यो०)-02-विविध-03/2020........./ 566 (म)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग ।

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग ।

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग ।

पटना, दिनांकः- 17/1/2020

विषयः- **प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Gaurantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।**

प्रसंगः- पथ निर्माण विभााग, बिहार का अधिसूचना सं0-447(s) सह पठित ज्ञापांक-448(s) दिनांक-16.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पथ निर्माण विभाग के प्रासंगिक अधिसूचना के द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Gaurantee का प्रावधान किया गया है। भवन निर्माण विभाग में भी यह तत्काल प्रभाव से लागू है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी सभी निविदाएँ जो निर्गत हो चुकी है तथा तत्काल प्रभाव के वाद प्राप्त होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्त्ते जोड़ी जाय ।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0-प्रासंगिक अधिसूचना

विश्वासभाजन

17/1/2020

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक- 566 (म) पटना, दिनांक- 17/1/2020

प्रतिलिपिः-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / विशेष सचिव/ अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव/निदेशक (अनुश्रवण) एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनु0-प्रासंगिक अधिसूचना

17/1/2020

प्रधान सचिव

1

ज्ञापांक– प्र०–6 / द०बि० नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16-1-2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6 / द०बि० नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6 / द०बि० नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6 / द०बि० नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6 / द०बि० नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

C:\USERS\...\DESKTOP\PROCESSING OF 10%\ADHISUCHANA.DOCX

447(S)
16/01/2020

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

1 पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2046 (एस) दिनांक–06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2 मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा मे यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागो के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण–दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:–

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(S) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.20
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

10%\ADHISUCHANA.DOCX